30/11

दिनेश बनाम श्रीमती अंजना देवी वगै0

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 12/657

01.02.2019	पत्रावली पेश हुई । रिव्यू प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.10.2012 को अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया गया है और रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करने बाबत् पाबन्द किया गया है । वादी अपीलान्ट के उपयोग सम्बन्धी एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को उसके खातेदारी की भूमि पर निर्माण नहीं कराने सम्बन्धी अपील में चाहा गया अनुतोष खारिज किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा जो अपील पेश की गई थी वह विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया था । इस तथ्य पर इस न्यायालय ने गौर नहीं किया है । अपील में रेस्पोडेन्ट स्वयं के खाते की भूमि पूर्व महारानी हेमन्त कुमारी इन्द्रगढ से क्रय करना वादी व प्रतिवादीगण द्वारा एक ही व्यक्ति से खरीदशुदा आराजी के चारों ओर 7–8 फिट ऊंची पक्की बाउन्ड्रीवाल होना तथा उक्त बाउन्ड्रीवाल के भीतर स्थित पक्षकारान की उक्त आराजी में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ते पर एक मात्र लोहे का गेट 15 फुट होना जिसका उल्लेख प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र प्रदर्श– ए–4 तथा वही एक मात्र प्रतिवादीगण की आराजी पर जाने का रास्ता है । उक्त बाउन्ड्रीवाल में बने लोहे के गेट एक मात्र रास्ते अपनी आराजी पर आने–आने के 15 फिट चौडे रास्ते के अलावा कभी भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट ने वादीगण की आराजी को नहीं देख और न ही वादीगण के स्वत्व की आराजी पर कभी अपना स्वत्व ही प्रकट किया । इसके बावजूद प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो नजीर पेश की गई थी उनका माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख नहीं किया है । 2010 डीएनजे (एससी) पेज 942, 2012 डीएनजे (राज0) पेज 1161, एआईआर 1996 पेज 146 उद्धरत की और निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्राधिकार होता है । रिव्यू के द्वारा पारित निर्णय में संशोधन नहीं किया जा सकता । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे । हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक

29.10.2012 को समस्त साक्ष्य एवं तथ्यों पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है और निर्णय के पैज संख्या 3 के बिन्दु संख्या 12 में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विलम्ब को शमन किया है । रिव्यू का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है । ऐसी त्रुटि जो कि **Apparent on the face of record** हो, को दुरूस्त किया जा सकता है । रिव्यू के आधार पर पूर्व में पारित निर्णय को नही बदला जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 पारित की गई है और अपील खारिज की गई है । इसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । प्रार्थी सक्षम न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

01/02/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा